

भवन अनुज्ञा शुल्क

नियम 21 के उप नियम (3) के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात :-

बहुमंजिले भवन से भिन्न के अनुज्ञा के लिये-

मद क.	निर्माण का प्रकार	निर्मित क्षेत्रफल		प्रभार्य शुल्क
		वर्ग मीटर	वर्ग मीटर	रूपये में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
एक	भवन जो पूर्णरूपेण निवास के लिये उपयोग किये जाने हेतु आषयित हो	0	75	908
		76	125	1592.00
		126	200	2723.00
		201	300	4084.00
		301	400	5445.00 ✓
		401	600	9075.00
		601	750	11344.00
		751	1000	15882.00
		1001	1250	22688.00
		1251	1500	31763.00 ✓
		1501	2000	45375.00
		2001	2500	68063.00
			2500 से अधिक	68063.00 एवं प्रति वर्ग मी. के लिये रु. 24.00 अतिरिक्त शुल्क